कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर

/स्थाई परिपत्र कमांक/आसवनी/2010-11/17

ग्वालियर, दिनांक 08.04.2010

राज्य की आसवनियों, विदेशी मदिरा तथा बीयर विनिर्माणी इकाइयों के सम्बन्ध में विधानसभा एवं अन्य स्त्रोंतों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि वहां से रेक्टीफाइड स्पिरिट, विदेशी मदिरा, बीयर का अवैध प्रदाय फर्जी परमिटों की सहायता से किया जा रहा है। इस शिकायत को दूर करने की दृष्टि से तथा विनिर्माणी इकाई से स्पिरिट/मदिरा की अवैध निकासी को रोकने की दृष्टि से निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते हैं:-

प्रत्येक आसवनी, विदेशी मदिरा विनिर्माणी इकाई (एफ.एल.9 तथा एफ.एल. 9-क) एवं ब्रिवरी (बी-3 तथा उससे सम्बद्ध एफ.एल.9-क) से मध्यप्रदेश राज्य के अन्दर अथवा अन्य राज्यों में निर्यात के लिये जारी किये जाने वाले परमिटों के परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाले भाग के ऊपरी हिस्से पर होलोग्राम चस्पा करने की कार्यवाही की जाए। जहां आसवनी/विदेशी मदिरा विनिर्माणी/ब्रिवरी एक ही परिसर में हैं वहां ये होलोग्राम उस दिन भराई की जाने वाली विदेशी मदिरा/बीयर की बोतलों पर लगने वाले होलोग्राम में से लिया जाएगा। उस दिन विनिर्माण न होने की स्थिति में उस दिन के होलोग्राम स्कंध के प्रारम्भिक कमांक/कमांकों के होलोग्राम परिवहन/निर्यात परमिटों पर चस्पा किये जाएंगे। जिन आसवनी परिसर में विदेशी मदिरा विनिर्माणी इकाई/ब्रिवरी स्थापित नहीं है वहां स्प्रिट के परमिटों पर चस्पा होने वाले होलोग्राम ग्वालियर स्थित होलोग्राम विनिर्माणी भाण्डागार से प्रदाय किये जाएंगे। ये होलोग्राम वो होंगे जो विदेशी मदिरा की बोतलों के लिये प्रयुक्त होते हैं। इन होलोग्राम का क्रय निर्धारित दरों पर आसवकों द्वारा किया जाएगा।

परमिटों पर चस्पा होने वाले होलोग्राम के इंकजेट कमांक का उल्लेख प्रभारी अधिकारी के द्वारा संधारित किये जाने वाले अभिलेखों में किया जाएगा तथा इसका उल्लेख सम्बन्धित परमिट के प्रत्येक भाग पर ऊपर की ओर भी किया जाएगा। इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करना प्रभारी अधिकारी का दायित्व होगा कि परमिट पर होलोग्राम इस तरह चस्पा किया जाए कि उसे निकालकर पुनः उपयोग किया जाना संभव न हो। इस सम्बन्ध में प्रपत्र एच-7 में इस हेतु किये गये खर्च का उल्लेख किया जाए। प्रपत्र एच-7 के रिमार्क कॉलम में किस परमिट कमांक पर यह होलोग्राम प्रयोग में लाया गया उसका उल्लेख किया जाए। इसकी जानकारी प्रपत्र एच-7-क तथा एच-8 में भी शामिल की जाय।

उक्त निर्देशों का अविलंब पालन सुनिश्चित किया जाए।

(अरूण पाण्डेय)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

PA/AEC

ग्वालियर, दिनांक 08.04.2010

पृ.कमांक / 5(5) / 2010–11 / 1050

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर आबकारी आयुक्त, तकनीकी, मुख्यालय, ग्वालियर।
3. उपायुक्त आबकारी, तकनीकी / प्रशासन मुख्यालय, ग्वालियर।
4. समस्त कलेक्टर्स,मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. उपायुक्त आबकारी राज्य उड़नदस्ता, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी की ओर निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु।
8. प्रभारी अधिकारी, होलोग्राम विनिर्माणी भाण्डागार ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त प्रभारी अधिकारी, (एफ.एल.9 तथा एफ.एल.9–क एवं बी–3 तथा उससे सम्बद्ध एफ.एल 9–क) की ओर निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु।
10. मेसर्स होलोफ्लेक्स लि. (होलोग्राम विनिर्माता) कोलकाता की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. समस्त आसवक, विदेशी मदिरा तथा बीयर विनिर्माता की ओर निर्देशों के पालन हेतु।

आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश